

Wajc

06.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं वकील की
बहस को मध्यनजर रखते हुए। वाद पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले
न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली
किया गया। निर्णय की पालना मे डिक्री की जाकर
तहसीलदार हनुमानगढ़ को पत्र जारी कर पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

Wajc
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

